

“थाना मदनापुर पुलिस द्वारा नकली काली मिर्च बनाते हुये चार अभियुक्तो को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से लगभग 844 kg नकली काली मिर्च व 25 कुन्तल हरी मटर व नकली काली मिर्च बनाने के उपकरण बरामद ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहांपुर श्री एस0 आनन्द के निर्देशन मे अपराध एवं अपराध की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर शाहजहाँपुर श्री संजय कुमार के निर्देशन मे व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अखण्ड प्रताप सिंह के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष थाना मदनापुर श्री वकार अहमद के नेतृत्व मे थाना मदनापुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 16/08/2022 को मुखबिर की सूचना पर समय करीब 01.05 बजे रात्रि मे “ग्राम बरुआ पट्टी सनायक मे पट्टे गुप्ता की बनी दुकान व मकान से” नकली काली मिर्च बनाते हुए अभियुक्तगण 1. आनन्द गुप्ता पुत्र स्व0 रमाशंकर गुप्ता निवासी मोहल्ला नौसारा थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर 2. अनिल कुमार पुत्र रामविलास 3. सोनेलाल पुत्र पुत्तूलाल 4. हरिनाथ पुत्र रघुवरलाल निवासीगण ग्राम झौहना थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 19 प्लास्टिक के कट्टे जिनमे नकली काली मिर्च कुल वजन 844 kg व 25 कुन्तल हरी मटर व एक प्लास्टिक के कट्टे मे रासायनिक पदार्थ व कुल 136 डिब्बे अजन्ता सिन्थेटिक कलर के व एक इलेक्ट्रानिक तराजू Galaxy Gold कम्पनी, एक गैस सिलेण्डर मय भट्टी व नकली काली मिर्च बनाने के उपकरण बरामद किये गये । बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगणो के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण:-

- ❖ आनन्द गुप्ता पुत्र स्व0 रमाशंकर गुप्ता निवासी मोहल्ला नौसारा थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर।
- ❖ अनिल कुमार पुत्र रामविलास निवासी ग्राम झौहना थाना जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर।
- ❖ सोनेपाल पुत्र पुत्तूलाल निवासी ग्राम झौहना थाना जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर।
- ❖ हरिनाथ पुत्र रघुवरलाल निवासी ग्राम झौहना थाना जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर।

फरार अभियुक्त:-

- ❖ पट्टे गुप्ता पुत्र नामालूम निवासी कस्बा व थाना जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- ❖ 19 कट्टे मे नकली काली मिर्च कुल वजन 844 kg
- ❖ 25 कुन्तल हरी मटर
- ❖ 01 कट्टे मे रासायनिक पदार्थ
- ❖ 136 डिब्बे कलर
- ❖ एक इलेक्ट्रानिक तराजू
- ❖ दो अदद मोबाइल फोन टच स्क्रीन Samsung Galaxy कम्पनी के
- ❖ काली मिर्च बनाने के उपकरण (01गैस सिलेण्डर, 01 भट्टी, 01 बडा भगोना, 02 तस्तरी, 01 बाल्टी)

पंजीकृत अभियोग:-

❖ मु0अ0स0 444/22 धारा 272/420 भादवि व 59 खाद्य सुरक्षा और मानक अधि0

विवरण पूछताछ:-

दौराने पूछताछ पर अभियुक्त आनन्द गुप्ता ने बताया कि साहब मैने नकली काली मिर्च बनाने का काम बंगलौर से सीखा था तथा काम सीखने के बाद कुछ दिन तक मैने बंगलौर मे ही काम किया। अब मै यहाँ पर आकर अपने साथियो के साथ यह काम करने लगा। मै अपने साथियो के साथ कानपुर गल्ला मण्डी से खराब छोटी मटर 30 रुपये प्रति किलो के दाम पर लाते है तथा कैमिकल व कलर भी कानपुर से ही खरीद कर लाते है मटर को हल्का उबालकर उसमे कलर मिलाकर हम लोग नकली काली मिर्च तैयार करते है मै व मेरे साथी थाना मदनापुर जलालाबाद रोड पर ग्राम बरुआ पट्टी सनायक मे खाली पडे पट्टे गुप्ता निवासी जलालाबाद के मकान मे काली मिर्च बनाने का कार्य करते है हम लोग नकली काली मिर्च को तैयार करके उसे असली काली मिर्च मे मिला देते है जिससे किसी को शक न हो, और उसे ले जाकर दिल्ली मे 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचकर धन प्राप्त करते है जिससे काफी मुनाफा होता है आज हम लगभग साढे 8 कुन्तल नकली काली मिर्च तैयार कर रहे थे कि पुलिस ने हमे पकड लिया । अभियुक्तगणो से गहनता से पूछताछ की जा रही है और तथ्य प्रकाश मे आने पर अन्य कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष श्री वकार अहमद थाना मदनापुर जनपद शाहजहांपुर।
2. उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह थाना मदनापुर जनपद शाहजहांपुर।
3. उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार मिश्र थाना मदनापुर जनपद शाहजहांपुर।
4. का0 कुलदीप थाना मदनापुर जनपद शाहजहांपुर।
5. का0 ललित थाना मदनापुर जनपद शाहजहांपुर।
6. का0 अमन थाना मदनापुर जनपद शाहजहांपुर।
7. का0 मोहित थाना मदनापुर जनपद शाहजहांपुर।
8. का0 कमल थाना मदनापुर जनपद शाहजहांपुर।